1012
11/6/97

(Authoritative English Text of this Department Notification No.Coop.A(3)-11/95 dated 14-5-97 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Cooperation.

.....

No.Coop.A(3)-11/95 Dated Shimla-171002, the 14th May, 1997.

NOTIFICATION

The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Daftri (Class-IV, Non-Gazetted) in the Department of Cooperation, Himachal Pradesh as per Annexure " A" attached to this Notification, namely :-

1. Short Title and Commencement:	1. (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Cooperation Department Daftri (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997. (ii) These Rules shall come in force from the date of Publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings:	2. (i) The Recruitment and Promotion Rules notified from time to time in respect of Class-IV, Employees are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Daftri (Class-IV), in the Department of Cooperation. (ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the rules so repealed

rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

Harinder Hira
Commisioner-cum-Secretary(Coop) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Coop.A(3)-11/95 Dated Shimla-171002, the 14th may, 1997.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Secretaries to the Government of Himachal Pradesh,
2. All the Heads of the Departments in Himachal Pradesh.
3. The Deputy Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla171002.
4. The Private Secretary to the Chief Secretary, H.P.Govt.
5. The Secretary, H.P.Vidhan Sabha, Shimla-171004.
6. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
7. The Registrar, Cooperative Societies, Himachal Pradesh Shimla-9.
8. The Additional Registrar, Cooperative Societies, Dharamsala District Kangra.
9. The Additional Registrar, Cooperative Societies, Shimla-9.
10. The Controller, Printing & Stationary Department, Himachal Pradesh, Shimla-5 for Publication in the H.P.Extra Ordinary Rajpatra. He is requested to supply five copies of the Rajpatra to this Department for further necessary action.
11. All Joint/Deputy/Assistant Registrar, Cooperative Societies Himachal Pradesh.
12. The A.L.D.(English/Hindi), Law Department, H.P.Sectt.Shimla-2.
13. Guard file with 100 spare copies.

Sd/- 17/5

Joint Secretary(Coop) to the Government of Himachal Pradesh.

" Pardeep Singh "

****

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DAFTRI (NON-GAZETTED) CLASS-IV IN THE DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE SOCIETIES HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the Post	Daftri
2.	Number of Posts	1 (One)
3.	Classification	Class-IV (Non-Gazetted
4.	Scale of pay	800-30-950-35-1160-40-1320-45-1455
5.	Whether Selection post or Non-Selection post.	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment	Not Applicable.
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits:	Not applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the Promotees:	Not applicable.
9.	Period of probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods:	100% by promotion
11.	In case of recruitment by promotion, deputation transfer, grade, from which promotion/deputation/ transfer is to be made:	"By promotion from amongst the peons who possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc (redered upto 31.3.91) service, if any in the grade".

Note:- (1) In all cases of promotion, the adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.91, if any, prior to regular appointment to the

---P--2/-

post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis upto 31.3.1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or as prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes eligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso; the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Contd...P...3

Explanation: The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rules-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered uoto 31.3.1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14. Essential requireement for a direct recruitment:	Not applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment:	Not applicable.

Contd....P..4/-

16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination:	Not applicable.
18. Powers to Relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may , by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

....

हिमाचल प्रदेश सरकार
"सहकारिता विभाग"

संख्या: कोप• ए(3)–11/95 दिनांक शिमला–171002, 14 मई, 1997

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में दफ्तरी (वर्ग–4, अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना में संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात :–

1• संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1• (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग के दफ्तरी (वर्ग–4) (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2• निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2• (i) वर्ग–4 के कर्मचारियों के बाबत समय–समय पर यथा सूचित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों को उस विस्तार तक निरसत किया जाता है जहाँ तक कि ये सहकारिता विभाग में दफ्तरी (वर्ग–4) के पद से संबंधित है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसत सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई बात, नियुक्ति या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा

हरिन्द्र हीरा
आयुक्त एवं सचिव (सहकारिता),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: कोप• ए(3)–11/95 तारीख शिमला–2, 14 मई, 1997

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1• समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।
2• समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3• उप सचिव मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002।
4• निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002।
5• निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।

6. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004 ।
7. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम विहार, शिमला-171002 ।
8. पंजीयक, सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 ।
9. अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी सभायें, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
10. समस्त संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश ।
11. सहायक विधायी प्रारूपकार, विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 ।
12. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह राजपत्र की पांच प्रतियां इस विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
13. गार्ड नस्ति 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव (सहकारिता),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

परिशिष्ट "ग"

सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश में दफ्तरी (अराजपत्रित वर्ग-4) के पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	: दफ्तरी ।
2.	पदों की संख्या	: 1 (एक)
3.	वर्गीकरण	: वर्ग-4 (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	: 800-30-950-35-1160-40-1320-45-1455
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	: अचयन ।
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु :	: लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें :	लागू नहीं ।
8.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हतायें : जैसा कि कोलम संख्या: 11 के सामने दर्शाई गई है ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा । :	चपड़ासियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में 31.3.91 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो उक्त नियमित सेवाकाल हो ।

टिप्पणी

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31.03.1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुये गणना में ली जायेगी कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31.03.1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिज़रवेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्नीकल सर्विसीज) रूलज 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजरवेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्वीसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-03-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी :

परन्तु 31-03-1991 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

3/-

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसा सरकार द्वारा [illegible] पर [illegible] की जाये ।
13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों मे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा	जैसा [illegible] ।
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा	लागू [illegible]
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन :	लागू नहीं ।
16. आरक्षण	: उक्त सेवा में नियुक्ति [illegible] समय-समय पर अनुसूचित जातियों/[illegible] जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग [illegible] व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण [illegible] जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा	: लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक/समीचीन है, वहां वह, कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा [illegible] नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी [illegible] या व्यक्तियों से वर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

....